प्रभासि शशि सूर्ययोः

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालयः विद्युत भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005
टेलीफोन/फैक्सः 0141-2747039
वेबसाईटः- www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl ईमेलः caorb@jvvnl.org

कमांकः जे.पी.डी./मु.ले.अ (रा.व. एवं बि.)/राज./पत्रा. 728/प्रे.1024 जयपुर, दिनांकः 15/11/19

परिपत्र

ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 7(22) ऊर्जा/2016 दिनांक 05.10.2018 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियमित टैरिफ सब्सिडी के अलावा सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं (Block supply- Rural) द्वारा अपने स्तर पर वहन की जाने वाली विद्युत बिलों की राशि का पुनर्भरण (अधिकतम 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT) के अंतर्गत उपभोक्ताओं के बैंक खातों में किया जाना प्रावधित है। इस योजना को लागू करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक 852 दिनांक 16.10.18 (जेपीडी–6/487), 856 दिनांक 22.10.18 (जेपीडी–6/488) एवं 1437 दिनांक 16.03.19 (जेपीडी–6/492) पहले से ही जारी किये जा चुके हैं। परंतु पात्र उपभोक्ताओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के जरिए अतिरिक्त अनुदान राशि के स्थानान्तरण की शुरूआत किन्हीं व्यावहारिक दिक्कतों की वजह से नहीं हो पाई है। अब, राज्य सरकार के हालिया निर्देशानुसार उपरोक्त देय अतिरिक्त अनुदान राशि पात्र उपभोक्ताओं को उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जानी है।

अतएव, पात्र कृषि उपभोक्ताओं के खातों में सीधे ही सब्सिडी की राशि हस्तांतरित करने हेतु कमवार प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

- बिंलिग एजेंसी द्वारा आगामी माह की 5 तारीख तक पात्र कृषि उपभोक्ताओं, जिनके विरूद्ध कोई बकाया राशि नहीं है, की सूची प्रस्तावित देय अनुदान राशि के साथ DOIT को उपलब्ध करवाई जावेगी।
- पात्र कृषि उपभोक्ताओं को जारी की जाने वाली अनुदान राशि के अनुमोदन, जाँच एवं भुगतान के लिए DOIT द्वारा संबंधित संभागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जयपुर/कोटा/भरतपुर ज़ोन), जयपुर डिस्कॉम एवं लेखाधिकारी (रोकड), जयपुर डिस्कॉम द्वारा अलग–अलग कमशः maker's SSO ID एवं Checker's SSO ID बनाई जावेगी। पात्र कृषि उपभोक्ताओं के बैंक खाता संख्या में भिन्नता अथवा गलत बैंक खाता संख्या में राशि हस्तान्तरित होने की स्थिति में संबधित सहायक राजस्व अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- DOIT द्वारा बिंलिग एजेंसी से प्राप्त पात्र उपभोक्ताओं की सूची आवश्यक अनुमोदन हेतु कार्यालय संभागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जयपुर/कोटा/भरतपुर ज़ोन) की SSO ID पर प्रेषित की जावेगी।
- संभागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जयपुर/कोटा/भरतपुर ज़ोन) द्वारा उपरोक्त सूची को दो कार्य दिवसों के भीतर आवश्यक जाँच एवं अनुमोदन पश्चात भुगतान हेतु लेखाधिकारी (रोकड) को प्रेषित की जावेगी।

Scanned by CamScanner

- तत्पश्चात् लेखाधिकारी (रोकड) इस सूची के अनुसार अनुदान की कुल प्रमाणित राशि उपभोक्ताओं के खाते में हस्तांतरित करने हेतु DOIT को हस्तांतरित करेंगे। इस हेतु निगम के खातों में निम्नानुसार प्रविष्टि की जावेगी–

Amount receivable from Govt. AG bill reimbursable under DBT To Bank	Accounting Code 28.638	Dr. Rs.____ Rs._______

- DOIT द्वारा सब्सिडी के उपरोक्त भुगतान का उपभोक्तावार विवरण success / failure अंकित करते हुए बिलिंग ऐजेंसी के साथ संभागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जयपुर/कोटा/भरतपुर ज़ोन) एवं लेखाधिकारी (रोकड) को प्रेषित किया जावेगा।
- बिलिंग ऐजेंसी सफल/असफल लेनदेनों की सूची other reports head के अंतर्गत संबंधित ARO के dashboard पर उपलब्ध करवाएगी।
- जो कृषि उपभोक्ता डीबीटी योजना के अन्तर्गत पात्र है, परन्तु बैंक खाता संख्या ना होने के कारण अनुदान राशि का लाभ न ले सकें, ऐसे कृषि उपभोक्ताओं की सूची बिलिंग एजेंसी तैयार कर कार्यालय संभागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जयपुर/कोटा/भरतपुर ज़ोन) को उपलब्ध करवाएगी एवं बैंक खाता संख्या उपलब्ध होने की स्थिति में ऐसे कृषि उपभोक्ताओं को अनुदान राशि हस्तान्तरित कर दी जाएगी।
- डीबीटी योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु, DOIT को एकमुश्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। DOIT द्वारा हस्तांतरित नहीं की गई शेष राशि लेखाधिकारी (रोकड), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को उसके बैंक खाते जिसके द्वारा राशि DOIT को हस्तांतरित की गई थी, वापस RTGS / NEFT के जरिए स्थानांतरित करेगा।

(के. सी गुप्ता)
मुख्य लेखाधिकारी (रा. व. एवं बिलिंग)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त निदेशक (भामाशाह), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार।
3. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियंता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, ...।
4. मुख्य लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
5. अधीक्षण अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,...................................... ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,.............................।
7. निजी सहायक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त/तकनीकी), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
8. मै. बी.सी.आई.टी.एस. जी. 19–20 मैट्रोपोलिस टावर, अजमेर रोड़, जयपुर।

मुख्य लेखाधिकारी (रा. व. एवं बिलिंग)

Scanned by CamScanner